प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

31 अगस्त 2023

बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – जुलाई 2023

जुलाई 2023[1] माह के लिए 40 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 93 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं।

वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, खाद्येतर बैंक ऋण[2] में जुलाई 2023[3] में 14.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 15.1 प्रतिशत थी।

बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन[3] की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :

- कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु प्रदत्त ऋण वृद्धि जुलाई 2023 में एक वर्ष पहले के 13.2 प्रतिशत से बढ़कर 16.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई।
- जुलाई 2023 में उद्योग क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) दर्ज की गई, जबकि यह जुलाई 2022 में 10.5 प्रतिशत थी।
- प्रमुख उद्योगों में, 'मूल धातु और धातु उत्पादों', एवं 'कपड़ा' हेतु प्रदत्त ऋण में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) जुलाई 2023 में पिछले वर्ष के इसी माह की तुलना में बढ़ी। 'रसायन और रासायनिक उत्पादों', 'खाद्य प्रसंस्करण' और 'बुनियादी ढांचे' की ऋण वृद्धि में गिरावट हुई/ संकुचन आया।
- जुलाई 2023 में सेवा क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में वृद्धि एक वर्ष पहले के 16.7 प्रतिशत से बढ़कर 19.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई, जो मुख्य रूप से 'व्यापार' और 'वाणिज्यिक स्थावर संपदा' के कारण थी।
- 'आवास' और 'वाहन' ऋणों के समर्थन से, वैयक्तिक ऋण में जुलाई 2023 में 18.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) (एक वर्ष पहले 18.7 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई।

अजीत प्रसाद
निदेशक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/842

[1] आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।
[2] खाद्येतर ऋण के आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की धारा–42 विवरणी पर आधारित हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं।
[3] किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को छोड़कर।